प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 30.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में प्रभारी यातायात द्वारा चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान, वाहन चालकों को पढाया यातायात नियमों का पाठ...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं जनपद में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने व यातायात व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने के उद्देश्य से निरन्तर सघन चेकिंग/जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है।

जिसके क्रम में आज दिनांक 30.06.2024 को प्रभारी यातायात महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा विशेष अभियान के तहत यातायात पुलिस टीम द्वारा जनपद के विभिन्न स्थलों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया साथ ही दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु बिना हेलमेट/शीटबेल्ट लगाकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध अभियान चलाया गया व दुर्घटना से बचाव हेतु हेलमेट/शीटबेल्ट के महत्व को बताते हुए यातायात नियमों का पाठ पढाया गया।

इसी क्रम में शहर के मुख्य स्थानों पर काली फिल्म, हूटर, दोषपूर्ण नम्बर प्लेट, हेलमेट, सीट बेल्ट की चेकिंग की गई एवं चालान किए गए । यातायात पुलिस टीम द्वारा आमजनमानस/वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरुक करते हुए सभी को यातायात नियमों का पालन किये जाने की अपील की जा रही है, जिससे जनपद महोबा में सड़क दुर्घटनाओं को होने से रोका जा सके।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत कम्यूनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु शक्ति दीदी (महिला बीट एवं महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद में विभिन्न स्थानों पर संचालित कराये गये आउटरीच प्रोग्राम।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत आज दिनांक 30.06.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में शक्ति दीदी (महिला बीट तथा महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद के समस्त थानों पर आउटरीच प्रोग्राम चलाकर अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत आबादी क्षेत्र, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, मेलों एवं गांव में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया तथा प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं यथा- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बैकिंग कॉरस्पोडेंट सखी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व राष्ट्रीय पोषण मिशन के संबंध मे विस्तृत जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त उनके साथ किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर उनकी सहायतार्थ जारी विभिन्न हेल्पलाइन नम्बर-112, 108, 181, 1076, 1090,1098 की जानकारी व उनके प्रयोग के बारे में विस्तृत रुप से बताया गया एवं साइबर अपराध होने पर साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये जाने के बारे में भी बताते हुए जागरुक किया जा रहा है।

संशोधित नये कानून (भारतीय न्याय संहिता/भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) के सम्बन्ध में नवीन विधियों पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में जनपदीय पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण ।

आज दिनांक 30.06.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर रिजर्व पुलिस लाइन महोबा अस्थित सभागार कक्ष में जनपदीय पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से नवीन विधियों पर आधारित प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

इस प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान 01 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नये कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबन्ध में वीडियो के माध्यम से समस्त थानों, पुलिस कार्यालय के विभिन्न शाखाओं प्रधान लिपिक, मॉनिटिरंग सेल, वाचक कार्यालय, अपराध शाखा, डीसीआरबी व साइबर थाना आदि में नियुक्त निरीक्षक, उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी व आरक्षीगण को विभिन्न नये कानून की धाराओं के बारे में क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे की उपस्थिति में श्री राजेश कुमार यादव, संयुक्त निदेशक अभियोजन, श्री कृष्णपाल अभियोजन अधिकारी, श्री विनय वर्मा, अभियोजन अधिकारी सहित अभियोजन संवर्ग व डी०जी०सी० संवर्ग के अधिकारियों द्वारा जनपदीय पुलिस कर्मियों को गूगल मीट व सभागार में उपस्थित पुलिस कर्मियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

उल्लेखनीय है कि ये तीन नए कानून अभी तक प्रचलित भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे । इन संसोधित तीन नए कानूनों की जानकारी सभी पुलिस अधि./कर्म. को होना नितान्त आवश्यक है, जिसके लिये सभी पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 30.06.2024
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा

जनपद में कानून एवं शाति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गश्त कर सदिग्ध व्यक्ति-वस्तु व वाहनों की सघन चेकिंग की गयी, पैदल गस्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से संवाद कर सुरक्षा का दिलाया गया भरोसा।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 30.06.2024 को जनपद में चाक-चौबन्द सुरक्षा एवं शाति व्यवस्था तथा महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष चौकी प्रभारी द्वारा मय पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायं कालीन पैदल गश्त की जा रही है।

पैदल गश्त के दौरान जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा आगामी त्यौहारों/पर्वो के दृष्टिगत प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई तथा अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों, दुकानदारों एवं अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़ा करने वाले लोगों से वार्ता कर शासन की मंशानुरुप उन्हें व्यवस्थित तरीका अपनाने के लिए दिये गए आवश्यक दिशा निर्देश व आमजन को आश्वस्त कराया गया कि जनपद महोबा पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। संवेदनशील स्थानों में संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की सघन चेकिंग की गई साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन में 83 वाहनों के ई- चालान कर 1,07,000/- रुपये का शमन शुल्क अधिरोपित किया गया।